



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29791 वर्ष 2025

जावेद अहमद
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अनुराग कुमार
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : दीपक उपाध्याय, जीए, राजेश कुमार
सिंह, राजजन कुमार

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता
माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक उपाध्याय, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।
- प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं तथा बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता चाहते हैं।
- प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
- उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"